राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–115/2010

जसवंत राम चौधरी **–अपीलार्थी**

बनाम

सचिव, सिंचाई एवं इन्दिरा गांधी नहर परियोजना विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 15.01.2010
आदेश की दिनांक : 07.06.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री प्यारे लाल, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री पुष्पेन्द्र पाल सिंह, अति.राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा ,सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी ने इस अपील में यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति बेलदार के पद पर इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के अन्तर्गत दिनांक 01.03.1970 को हुई थी, जो कृषि विभाग के अंतर्गत आता है। अपीलार्थी की पदोन्नति सुपरवाईजर ग्रेड–। के पद पर दिनांक 11.03.1976 को हुई। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा सुपरवाईजर ग्रेड–। की अनन्तिम वरियता सूची जारी की, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रमांक संख्या 23 पर था। अपीलार्थी ने यह भी तथ्य अंकित किये है कि श्री मोहन खींची अपीलार्थी से कनिष्ठ है और उनका नाम वरियता सूची में क्रमांक संख्या 77 पर था, परंतु उनकी पदोन्नति की गई है। अपीलार्थी ने रिट याचिका संख्या 5804/2015 माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने भी दिनांक 27.09.2005 को यह आदेश पारित किया है कि अपीलार्थी एक अभ्यावेदन 15 दिवस में प्रत्यर्थी विभाग को प्रस्तुत करेगा एवं सक्षम प्राधिकारी अभ्यावेदन पर 2 माह में नियमानुसार निर्णय लेगा। अपीलार्थी ने अभ्यावेदन दिनांक 16.04.2007 को प्रस्तुत किया गया। जिस पर प्रत्यर्थी विभाग के अधिक्षण अभियंता द्वारा दिनांक 31.05.2007 को आदेश पारित कर अपीलार्थी का अभ्यावेदन खारिज कर दिया। जिसमें यह कारण अंकित किया गया है कि अपीलार्थी पदोन्नति के लिए योग्यता नहीं रखता है। इसके उपरांत अपीलार्थी ने एक अन्य रिट याचिका संख्या 11461/2009 जसवंत राज चौधरी बनाम राजस्थान सरकार माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की। उक्त रिट याचिका इस आधार पर खारिज की गई की अपीलार्थी वैकल्पिक उपचार प्राप्त का सकता है। इसके उपरांत अपीलार्थी ने यह अपील अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का आगे कथन रहा है कि

अपीलार्थी सुपरवाइजर ग्रेड–। के पद पर वर्ष 1976 से कार्यरत है। वरियता सूची में अपीलार्थी क्रम संख्या 23 पर है। श्री खींची का नाम क्रम संख्या 77 पर है, परंतु श्री खींची को पदोन्नति प्रदान की गई है। इस प्रकार अपीलार्थी से कनिष्ठ व्यक्ति को पदोन्नति प्रदान की जा चुकी है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह तर्क रहा है कि एक अन्य व्यक्ति योगेश कुमार वरियता सूची में क्रम संख्या 206 पर है, वे भी अपीलार्थी ने कनिष्ठ थे, जिनको भी पदान्नति प्रदान की जा चुकी है। ऐसे में अपीलार्थी को भी पदोन्नति प्रदान की जाये।

2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह तथ्य अंकित किये गए हैं कि अपीलार्थी ने माननीय राज्य उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या–5804/2005 जसवन्तराम बनाम राजस्थान राज्य व अन्य प्रस्तुत की। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के एकल पीठ निर्णय दिनांक 27–09–2005 के क्रम में अपीलार्थी ने अभ्यावेदन दिनांक 10–10–2005 एवं दिनांक 15–04–2006 प्रस्तुत किया । अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर विचार करते समय अपीलार्थी को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया गया, व्यक्तिगत सुनवाई में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों पर भी गहनता से विचार करने के उपरान्त आक्षेपित आदेश के द्वारा अपीलार्थी को अवगत करवाया गया है कि प्रस्तुत तथ्यों एवं पदौन्नति नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत वर्क सुपरवाईजर ब्रेड–प्रथम सुपरवाईजर के पद पर बिना योग्यता के पदोन्नति नियमों का उल्लघन कर, केवल मात्र वरिष्ठता के आधार पर पदौन्नति दिया जाना नियमानुसार सम्भव नहीं है। राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिये अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 के प्रावधानों एवं भारतीय मर्यादा अधिनियम की धारा–5 के अनुसार अपीलार्थी की अपील अत्यधिक अवधि बाधित होने से निरस्त किए जाने योग्य है अपीलार्थी की उक्त मांग पूर्णतया नियमविरूद्ध व विधिविरुद्ध है क्योंकि पदौन्नति का मामला प्रशासनिक स्तर पर निर्णय लिये जाने से सम्बन्धित है. इसके लिये किसी कार्मिक को कोई अधिकार नहीं है। वर्तमान में पदौन्नति हेतु रिक्त पद की उपलब्ध ही नहीं है । अपीलार्थी ने वर्तमान अपील मे ऐसा कोई नियम अथवा आधार प्रस्तुत नहीं किया है, जिसके आधार पर उसकी पदोन्नति हेतु अधिकारिता बनती हो। अतः अपील अपीलार्थी निरस्त किए जाने योग्य है।

3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से यह भी कथन किया गया है कि विभाग में कार्य प्रभारित कर्मचारियों के पदोन्नति नियम, 1981 जो कि स्थायी आदेश नियम–1971 के नियम–6 के अनुसार प्रभावी है, में प्रत्यर्थी कार्यालय के आदेश दिनांक 25–06–1981 के परिशिष्ठ (बी) मैकेनिकल एवं इलेक्ट्रीकल पोस्ट इन राजस्थान नहर परियोजना के आईटम संख्या–20 के अनुसार सुपरवाईजर के

पद पर सीधी भर्ती कोटा 25 प्रतिशत है तथा पदौन्नति हेतु 75 प्रतिशत कोटा निर्धारित है। सुपरवाईजर के पद पर पंदौन्नति हेतु पात्रता पूर्ण करने के लिए विद्युतकार ग्रेड–II/मैकेनिक ग्रेड–II के पद का पांच वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है, जो कि अपीलार्थी के उक्त पात्रता विभागीय पदौन्नति नियमों के तहत धारित नहीं करता है, क्योंकि वह वर्क सुपरवाईजर ग्रेड–प्रथम का पद धारित करता है तथा अपीलार्थी ने इलेक्ट्रीशियन ग्रेड–द्वितीय/मैकेनिक ग्रेड–द्वितीय का पद कभी भी धारित नहीं किया है, इसके अतिरिक्त नियमानुसार पदों की उपलब्धता भी प्रत्यर्थी विभाग के पास नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में अपात्र वर्क सुपरवाईजर ग्रेड–प्रथम को यांत्रिक सुपरवाईजर के पद पर पदोन्नत नहीं किया जा सकता है। अतः अपील अपीलार्थी निरस्त किए जाने योग्य है। श्री मोहनसिंह खिंची एवं अपीलार्थी विभागीय नियम अनुसार सुपरवाईजर पद पर न तो नियुक्ति और न ही पदोन्नति की प्रारम्भिक योग्यता रखते थे, जिसके कारण इन्हें विभाग द्वारा पदोन्नत नहीं किया गया। श्री मोहन सिंह के प्रकरण में श्रम न्यायालय बीकानेर के निर्णय को यथावत रखते हुए उच्च न्यायालय ने अपना निर्णय दिया । सुपरवाईजर इस निर्णय की क्रियान्वति में श्री मोहनसिंह खिंची द्वारा सुपरवाईजन के पद पर पदोन्नति/नियुक्ति की योग्यता नियमानुसार धारित नहीं करने के कारण ही राज्य सरकार इस शर्त पर पदौन्नति की स्वीकृ ति जारी की कि इसे अन्य प्रकरणों में इसे उदाहरण स्वरूप लागू नहीं किया जायेगा। इस प्रकार अपीलार्थी नियमों के विरूद्ध लाभ प्राप्त करने हेतु अपना पक्ष अनुचित रूप से पेश कर रहे है, लिहाजा पात्रता के अभाव में इन्हें यांत्रिक सुपरवाईजर पद पर पदोन्नत नहीं किया जा सकता है। खिंची सुपरवाईजर के यांत्रिक पद पर पदोन्नति की योग्यता न रखते हुए विभागीय साक्ष्य में दिये गये दोषपूर्ण शपथ पत्र के कारण न्यायालय से यांत्रिक पद के विरूद्ध श्री खिंची लाभ प्राप्त कर सके। इस तथ्य को राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ने नियमों के परिवेश में विवेचना न कर मात्र शपथ पत्र के आधार पर विभाग की अपील को खारिज कर दिया। यदि आदेश को पढ़ा जाये तो न्यायालय ने इस तथ्य को अपने आदेश में उल्लेख किया है। इसे आधार बनाकर अपीलार्थी जो कि सिविल पद धारक है यांत्रिक पद पर पदोन्नत होने का हकदार नहीं है। श्री खिंची को दिया गया लाभ न्यायालय के आदेश की पालना थी, जो कि संवैधानिक रूप से किया जाना परम आवश्यक था । श्री खिंची की वरिष्ठता सूची इन्द्राज से व अपीलार्थी की वरिष्ठता सूची नामाकन के मध्य 54 वर्क सुपरवाईजर आते है । जो ना तो यांत्रिक योग्यता रखते है और ना ही उनके द्वारा यांत्रिक पदों पर कार्य किया है । ऐसी स्थिति में अगस्त 1985 से भूतलक्षी प्रभाव के आधार पर पदौन्नत किया जाना नियम विरूद्ध होने से सम्भव नहीं है।

चूंकि विभाग के पास परियोजना पूर्ण हो जाने के कारण से 54 यांत्रिक सुपरवाईजर के पद उपलब्ध नहीं है और इतने पद तो समस्त सिविल सम्भाग में यांत्रिक सुरवाईजरों के होगें ही नहीं तो फिर किस आधार पर अपीलार्थी को पदौन्नत किया जाना नियमों के अन्तर्गत है। श्री खिंची को पदौन्नति एवं वेतन श्रृंखला देने का मुद्दा अपीलार्थी द्वारा बनाया गया है। इस स्थिति को स्पष्ट करते हुए कथन किया जा चुका है कि अपीलार्थी वर्क सुपरवाईजर के पद को धारण करते हुये यांत्रिक पद सुपरवाईजर के पद की प्रारम्भिक योग्यता भी नहीं रखते है (E-ec- Gr -II, Mech.- Gr-II/Diploma with an aptitude to work his own hand or T.T.C. Diploma in Ist Dn. or diploma or dinary with 2 years experience or I.T.I. diploma with 5 year experience or matrioulate mechanic with 7 years or unqualified Mech. with 9 year experience of the trade) अतः इन्हें संवर्ग यांत्रिक पद सुपरवाईजर के पद पर पदौन्नत नहीं किया जा सकता। अपीलार्थी के आवेदन पर नियमों में कहीं भी कोई भी व्यवस्था न होने पर उसे वर्क सुपरवाईजर ग्रेड–प्रथम के पद से सुपरवाईजर यांत्रिक पद पर पदौन्नत नहीं किया जा सकता। लिहाजा इस सम्बन्ध में प्रत्यर्थी विभाग ने विशेषज्ञ तथा सम्बन्धित, पक्षकारों से अपीलार्थी के आवेदन पर रिपोर्ट प्राप्ति के विशलेषण उपरान्त अपना निर्णय नियमों के तहत प्रसारित किया। श्री योगेश राठी 3 वर्षीय यांत्रिक पोलीटेक्निक डिप्लोमाधारक है। उसकी योग्यता के अनुसार वर्ष–1984 को जारी की गयी वरिष्ठता सूची में श्री योगेश राठी क्रम संख्या–206 पर दर्ज थे। तत्समय परियोजना में यांत्रिक सुपरवाईजरों के पद रिक्त थे और योगेश राठी द्वारा इस पद पर आवेदन करने पर विभाग ने अपनी जरूरत के मुताबिक इन्हें यांत्रिक सुपरवाईजर की योग्यता के कारण (3 वर्षीय पॉलीटेक्निक डिप्लोमा) से सुपरवाईजर के पद पर नियुक्ति प्रदान की, जिसे कि श्रम न्यायालय में मोहन सिंह के प्रकरण में पदौन्नति मान लिया। आगे चलकर श्री योगेश राठी इसी योग्तया के कारण से यांत्रिक पद पर नियमित अभियन्ता है। यह नियुक्ति भी उसे उसकी योग्यता के पर प्रदान की गयी। अब अपीलार्थी अपने पक्ष में बिना किसी योग्यता के आधार पर यांत्रिक सुपरवाईजर पद के लिये पदौन्नति चाहता है जो उसे प्रदान नहीं की जा सकती है।

4. दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से यह तर्क रहा है कि अपीलार्थी से कनिष्ठ व्यक्ति मोहन सिंह खिंची व योगेश राठी को पदोन्नति दी गयी है। इसलिए अपीलार्थी भी पदोन्नति प्राप्त करने का अधिकारी है। इस सम्बन्ध में प्रत्यर्थी विभाग का यह कथन रहा है कि मोहन सिंह खिंची द्वारा सुपरवाईजर के पद पर पदोन्नति योग्यता नियमानुसार धारित नहीं करता है। श्री खिंची को न्यायालय के आदेश से लाभ प्राप्त हुआ था, जो विभागीय साक्ष्य में दोषपूर्ण शपथ पत्र के कारण हुआ था।

श्री खिंची का प्रकरण उदाहरण के रूप में लागू नहीं किया जा सकता। अन्य व्यक्ति योगेश राठी के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी विभाग की ओर से कथन रहा है कि श्री योगेश राठी के पास तीन वर्षीय यांत्रिकी पोलिटेक्निक का डिप्लोमा है। उनकी इस योग्यता के कारण उन्हें सुपरवाईजर के पद पर नियुक्ति प्रदान की गयी थी। जिसे न्यायालय ने पदोन्नति मान लिया है। हमारे मत में वर्तमान प्रकरण में श्री मोहन सिंह व योगेश राठी के उदाहरण तभी लागू किये जा सकते है, जब अपीलार्थी पदोन्नति के लिये योग्यता रखता हो। प्रत्यर्थी विभाग ने अपने जवाब में यह कथन किया है कि सुपरवाईजर के पद पर पदोन्नति हेतु पात्रता पूर्ण करने के लिये मैकेनिक ग्रेड–2 के पद का 5 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है, जो कि अपीलार्थी उक्त पात्रता विभागीय पदोन्नति नियमों के तहत धारित नहीं करता है। क्यांकि वह वर्क सुपरवाईजर ग्रेड–प्रथम का पद धारित करता है तथा अपीलार्थी ने इलेक्ट्रिशियन ग्रेड–द्वितीय/मैकेनिक ग्रेड–द्वितीय का पद कभी भी धारित नहीं किया है। अपीलार्थी यह स्पष्ट करने में असफल रहा है कि उसके पास उक्त योग्यता है। अपात्र वर्क सुपरवाईजर ग्रेड–प्रथम को यांत्रिक सुपरवाईजर के पद पर पदोन्नत नहीं किया जा सकता है।

5. नियमानुसार अपीलार्थी की पदोन्नति हेतु निर्धारित पात्रता पूर्ण करना आवश्यक है। प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी को अभ्यावेदन पर विचार कर यह माना है कि अपीलार्थी पदोन्नति की पात्रता पूर्ण नहीं करता है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि होना नहीं माना जा सकता। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस अपील में कोई बल नहीं पाते है। परिणामस्वरूप यह अपील खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)